लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *384

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम कीट पालन की स्थिति

***384. श्री नारणभाई काछड़ियाः**
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में रेशम कीट पालन की स्थिति क्या है;

(ख) विश्व में रेशम उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है; और

(ग) सरकार रेशम कीट पालन व्यवसाय में लगे किसानों को लाभान्वित करने हेतु और अधिक रेशम के उत्पादन और निर्यात को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 19.07.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *384 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) और (ख): भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कच्ची रेशम के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष 2017-18 (31,906 मी.ट.) की तुलना में वर्ष 2018-19 (35,261 मी.ट.) के दौरान 10.52% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में उत्पादित कच्ची रेशम के 35,261 मी.ट. के अनतिंम कुल उत्पादन में रेशम की 4 किस्मों में से मलबरी की 71.50% (25,213 मी.ट.), तसर की 8.44% (2,977 मी.ट.), ऐरी की 19.40% (6,839 मी.ट.) और मूगा की 0.66% (232 मी.ट.) हिस्सेदारी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में किस्म-वार कच्ची रेशम का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मीट्रिक टन में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19 (अनंतिम)**
मलबरी (बाइवोल्टाइन)	5,266	5874	6911
मलबरी (क्रॉस ब्रीड)	16,007	16192	18302
तसर	3,268	2988	2977
ऐरी	5,637	6660	6839
मूगा	170	192	232
कुल	30,348	31906	35261

(ग) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) रेशम के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा है। रेशम के उत्पादन में लगे किसानों को लाभांवित करने के लिए सीएसबी केन्द्रीय क्षेत्र की एक पुनर्गठित योजना 'सिल्क समग्र' क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हुई है। इस योजना के अंतर्गत रेशम उत्पादन के हितधारकों को नर्सरी स्थापित करने, मलबरी की उन्नत किस्मों के साथ पौधरोपण, सिंचाई, उद्भवन सुविधा के साथ चॉकी रियरिंग केन्द्र, रियरिंग हाउसों का निर्माण, रियरिंग उपकरण, विसंक्रमण के लिए डोर टू डोर सेवा एजेंट और इनपुट की

आपूर्ति, आटोमेटिक रीलिंग यूनिटों जैसी उन्नत रीलिंग यूनिटों के लिए सहायता, मल्टीएण्ड रीलिंग मशीन, उन्नत टिविस्टिंग मशीन और अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम तथा फैब्रिक के उत्पादन के लिए यार्न पश्च सुविधाओं के लिए सहायता जैसे लाभार्थी उन्मुख संघटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के अंतर्गत तीन विस्तृत श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी) और गहन बाईवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) तथा महत्वाकांक्षी जिलों के अंतर्गत पहचान किए गए संभावित जिलों में 38 रेशम उत्पादन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अनिवार्य अवसंरचना का निर्माण करके और मूल्य श्रृंखला में रेशम कीट रियरिंग और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन को सक्षम वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में स्थापित करना है।

रेशम का उत्पादन और रेशम का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय:

i. बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन : बाइवोल्टाइन रेशम भारत में आयात विकल्प के रूप में उत्पादित रेशम एक उच्च गुणवत्ता वाला मलबरी रेशम है। देश में उच्च गुणवत्ता वाली बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन करने के लिए उत्पादनशील बाइवोल्टाइन हाइब्रिड और प्रक्रियाओं के पैकेज विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर बल दिया जा रहा है।

ii. बेहतर मलबरी/होस्ट प्लांट की किस्मों, रेशमकीट संकरों और प्रौद्योगिकी पैकेजों को विकसित करने के लिए कोकून उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रणाली को मजबूत बनाना।

iii. अच्छी गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन रेशम कीट बीज का उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति करने के लिए कोल्ड स्टोर की सुविधाओं और बाइवोल्टाइन भंडारण को सुदृढ़ बनाया गया है।

iv. बाइवोल्टाइन कोकून से 3ए-4ए ग्रेड वाली कच्ची रेशम का उत्पादन करने के लिए देश में स्वचालित रीलिंग मशीनों (एआरएम)/इकाइयों की स्थापना की गई हैं।

v. केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकारें स्टेक होल्डर के स्तर पर अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण करने के लिए भारत सरकार के अन्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर विलयन के माध्यम से रेशम उत्पादन विकास के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाती हैं।

vi. स्वदेशी रेशम विविंग मार्केट के क्षेत्र को अपेक्षाकृत मजबूत बनाने और भारतीय रेशम निर्यात क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कच्ची रेशम और रेशम फैब्रिक निर्यात पर क्रमश: 10% और 20% का मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है।

vii. सिल्क मिश्रण पर बल देकर तथा निर्यात बाजार में वान्या सिल्क उद्योग को लोकप्रिय बनाकर उत्पाद विकास एवं विविधीकरण पर जोर दिया जाता है।

viii. व्यापक संवर्धन के माध्यम से विश्व बाजार में ब्रांड के रूप में 'भारतीय रेशम' को स्थापित करने और संवर्धित करने तथा भारतीय रेशम के ब्रांड का निर्माण करने के लिए 'सिल्क मार्क टैग' के साथ भारतीय रेशम को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

*****